

राजस्थान सरकार  
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

कमॉक:- प.2 (सब)4843/आ.कृ./गुप-9/

दिनांक

कार्यालय आदेश

श्री जसवंत सिंह हाडा जो सहायक कृषि अधिकारी के रूप में सहायक निदेशक कृषि (वि) बूंदी में कार्यरत है को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 31.10.2020 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री जसवंत सिंह हाडा के विरुद्ध:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।


उक्त आदेश आयुक्त कृषि महोदय से अनुमोदित है।

(सीताराम जाट)  
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

कमॉक:- प.2 (सब)4843/आ.कृ./गुप-9/ 11/02-08  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

दिनांक 26/10/2020

- 1- निदेशक पेंशन विभाग, जयपुर ।
- 2- संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) कोटा ।
- 3- उप निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद बूंदी ।
- 4- सहायक निदेशक कृषि (वि) बूंदी ।
- 5- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मु0 जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
- 6- श्री जसवंत सिंह हाडा सहायक कृषि अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि(वि) बूंदी ।
- 7- निजी पंजिका ।

  
(उदयभान सिंह)  
उप निदेशक कृषि (प्रशासन)